श्रमिक ठेका निविदा प्रपत्र

(अवधि दिनांक 01–04–2017 से 31–03–2019 तक)

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम–उरला, पो–बी0एम0वाय0चरोदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

Dy. Gen. Manager (P & A)
C.G. State Coop. Dairy Fed. Ltd.
Urla, Dist. Durg (C.G.)

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर

ग्राम–उरला, पो–बी.एम.वाय.चरोदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

मोनो

क्रमांक/ /छगदुमसं/प्रशासन/2017 उरला,दिनांकः /2017

।। श्रमिक निविदा आमंत्रण सूचना ।।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर से संबंधित समस्त दुग्ध संयंत्र, दुग्ध शीत केन्द्रों में ठेका श्रमिक प्रदाय हेतु पंजीकृत डी.जी.आर./एकल ठेकेदार/फर्म/सहकारी संस्था/ एजेन्सी जिनके पास किसी प्रतिष्ठित औद्योगिक/वाणिज्यक संस्था में ठेका श्रमिक प्रदाय का दो वित्तीय वर्षो का अनुभव हो एवं जिनके पास कर्मचारी भविष्य निधि/ई.एस.आई.सी. एवं आवश्यक अन्य वैधानिक अनुज्ञप्ति (लायसेन्स) हो तथा जो बैंक के माध्यम से अधिनस्थ ठेका श्रमिकों को अनिवार्य रूप से भुगतान करने में सक्षम हो, से निविदायें निविदा अवधि दिनांक 01–04–2017 से 31–03–2019 तक 02 वर्ष की अवधि हेतु आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक निविदाकार दिनांक 06–03–2017 दोपहर 1.00 बजे तक कार्यालयीन दिवस में दुग्ध महासंघ से निविदा प्रपत्र क्रय कर सकते है एवं निविदायें उसी दिनांक 06–03–2017 को अपरान्ह 02.00 बजे तक जमा की जावेंगी। निविदा संबंधी शर्तें एवं विस्तृत विवरण छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, उरला की वेबसाइट **"WWW.cgcoopdairyfed.in"** पर भी पठन हेतु उपलब्ध है।

कार्य का विवरण	धरोहर राशि (रू.)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रू.)	निविदा खोलने का दिनांक एवं समय
ठेका श्रमिक प्रदाय	3,00,000/– (रू. तीन लाख)	2,000/– (रू. दो हजार)	06–03–2017 अपरान्ह 03.00 बजे

प्रबन्ध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

Dy. Genl. Manager (F & A)
C.G State Coop. Dairy Fed. Ltd.
Urla, Dist. Durg (C.G)

मूल्य रू. 2,000/–

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर

ग्राम–उरला, पो–बी.एम.वाय.चरोदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

ठेके पर श्रमिक प्रदाय हेतु निविदा प्रपत्र –

1.	निविदा प्रपत्र विक्रय आरंभ करने की तिथि एवं समय	दिनांक 13–02–2017 प्रातः 11.00 बजे से
2.	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 06–03–2017 दोपहर 01.00 बजे तक
3.	निविदा जमा करने की तिथि एवं समय	दिनांक 06–03–2017 दोपहर 02.00 बजे तक
4.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 06–03–2017 अपरान्ह 03.00 बजे
5.	भाव पत्र/दरें खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 06–03–2017 अपरान्ह 03.00 बजे
6.	निविदा के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	रू. 3,00,000/– (रू. तीन लाख मात्र)
7.	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, ग्राम–उरला, पो–बी.एम.वाय. चरोदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)
8.	ठेका हेतु ''तकनीकी अर्हताऐं'' का प्रारूप	प्रपत्र– I
9.	निविदा की सामान्य शर्तें	प्रपत्र– II
10.	दुग्ध महासंघ संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र पर किये जाने वाले कार्यो की सूंची	प्रपत्र– III
11.	''भाव पत्र/दरें'' प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र– IV

प्रबन्ध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

Dy. Gen. Manager (... A)
C.G. State Coop. Dairy Fed. Ltd.
Urla, Dist. Durg (C.G.)

:: जमा किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची ::

क्रं.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
1.	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)।		पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।
2.	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता का नाम।		संस्था/फर्म के संचालक मण्डल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र ।
3.	श्रमिक ठेके संबंधी जीवित लाइसेन्स क्रमांक।		श्रम विभाग का पत्र/प्रमाण पत्र ।
4.	क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय रायपुर द्वारा जारी।		क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र ।
5.	सर्विस टेक्स पंजीयन कोड़।		कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र।
6.	वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 आयकर का रिटर्न जमा करने का प्रमाण।		आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं प्रमाण।
7.	वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 का टर्न ओव्हर प्रतिवर्ष रू. 1 करोड़ से अधिक अनिवार्यतः होना चाहिए।		1. Chartered Accountant द्वारा प्रमाणित वित्तीय पत्रक एवं लाभ/हानि खाते (Profit & Loss A/C) की प्रमाणित छायाप्रति (ऑडिट रिपोर्ट)।
8.	प्रतिष्ठित औद्योगिक/वाणिज्यिक संस्था में गत 2 वित्तीय वर्ष (2014–15, 2015–16) में ठेके पर श्रमिक प्रदाय किये हों तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में न्यूनतम 200 दिन तक औसतन कम से कम 200 श्रमिक प्रतिदिन प्रदाय किये हों (संस्था का नाम व पता जहॉ श्रमिक प्रदाय किये गये हों)।		नियोक्ता के कार्य आदेश की प्रति एवं सफलतापूर्वक अनुभव का प्रमाण पत्र।

प्रबन्ध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

Dy. Gen. Manager (P & A)
C.G State Coop. Dairy Fed. Ltd.
Urla, Dist. Durg (C.G)

कार्यालय– छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

उरला, बी.एम.वाय. चरोदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

प्रपत्र – I

(अ) निविदा की सामान्य शर्तें :–

1	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के उरला स्थित मुख्य डेयरी संयंत्र में आवश्यक सेवाओं को संपादित करने के लिये ठेके पर श्रमिक/सेवा कर्मियों को प्रदाय करने हेतु छ.ग. शासन अथवा अधिकृत निकाय/संस्था में विधिवत पंजीकृत/अधिनियम के अंतर्गत वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त एकल ठेकदार/फर्म/सहकारी संस्था/एजेंसी जिसके पास किसी प्रतिष्ठित औद्योगिक/वाणिज्यक संस्था में विगत 2 वित्तीय वर्षों (2014–15 एवं 2015–16) में श्रमिक प्रदाय का अनुभव हो और जिसने वित्तीय वर्ष 2015–16 में न्यूनतम 200 दिन तक औसतन कम से कम 300 श्रमिक प्रतिदिन प्रदाय किये हों, ऐसे निविदाकारों की निविदाओं पर ही विचार किया जावेगा ।
2	धरोहर राशि (Earnest Money) रूपये 3,00,000/– (रू. तीन लाख मात्र) निविदाकार को दुग्ध महासंघ में निविदा के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या., उरला के पक्ष में देय हो, जमा करना अनिवार्य है। धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। निविदा अस्वीकृत होने पर असफल निविदाकारों की धरोहर राशि एक माह की समयसीमा में वापस की जावेगी। निविदा स्वीकृत होने पर महासंघ के प्रबंधन द्वारा कार्यादेश दिये जाने पर यदि निर्धारित तिथि से कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो धरोहर राशि (Earnest Money) जब्त कर दूसरे न्यूनतम निविदाकर्ता को कार्य का ठेका दिया जावेगा। निविदा स्वीकृत होने एवं कार्य शुरू होने पर धरोहर राशि (Earnest Money) को सुरक्षा निधि (Security Deposit) में समायोजित किया जावेगा।
3	निविदा स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, उरला को होगा ।
4	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात श्रमिक ठेकेदार को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के मुख्य डेयरी संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्रों हेतु विभिन्न श्रेणी के श्रमिक/कर्मचारी प्रतिदिन लगभग 300 श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी एवं कार्य की आवश्यकतानुसार श्रमिकों की संख्या समय–समय पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
5	निविदा स्वीकृत होने पर तत्काल सफल निविदाकार अर्थात श्रमिक ठेकेदार द्वारा स्वयं के खर्चे से अनुबंध पत्र हेतु रूपये 500/– (रू पांच सौ मात्र) का गैर न्यायालयीन स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा एवं कार्य प्रारंभ से पूर्व अनुबंध पत्रों पर हस्ताक्षर करने होंगे। निर्धारित अवधि तक अनुबंध निष्पादन नहीं होने पर कार्यादेश स्वतः निरस्त हो जावेगा।
6	सफल निविदाकार अर्थात श्रमिक ठेकेदार को सौंपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर ठेका निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि (Security Deposit) राजसात करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, उरला को होगा।
7	कान्ट्रेक्ट लेबर (रेग्युलेशन एंड ऐबोलीशन) एक्ट 1970 के अंतर्गत निविदाकार के पास श्रमिक प्रदाय हेतु लायसेंस होना आवश्यक है तथा उक्त लायसेंस का समय–समय पर नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। सफल निविदाकार अर्थात श्रमिक ठेकेदार को समस्त अधिनियमों व प्रावधानों तथा भविष्य में होने वाले संशोधनों का पालन भी अनिवार्य रुप से करना होगा ।

Dy. Gen. Manager (P & A)
C.G State Coop. Dairy Fed. Ltd.
Urla, Dist. Durg (C.G.)

8	निविदाए खोलने के पश्चात यदि प्रबंधन को दरें अधिक प्रतीत हों और वह आवश्यक समझे तो न्यूनतम निविदाकर्ता को निगोशिएशन हेतु बुलाया जा सकता है। इस विषय में प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, उरला द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
9	श्रमिक ठेका अनुबंध दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2019 तक की अवधि तक प्रभावशील रहेगा। अनुबंधित श्रमिक ठेकेदार का कार्य संतोषजनक होने पर ही प्रबंधन यह विचार कर सकेगा कि आपसी सहमति से ठेका अवधि आवश्यकतानुसार आगामी दो वर्ष तक पूर्व स्वीकृत दर एवं पूर्वानुसार शर्तों के आधार पर बढ़ाई जा सकेगी।
10	निविदाकार को कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम दोनों में रजिस्ट्रेशन होना/पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण की सत्यापित प्रतिलिपियॉ निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी। निविदाकर्ता पर कारखाना अधिनियम एवं श्रम विभाग में प्रकरण/विवाद आदि लंबित/विचाराधीन नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करना होगा। सफल निविदाकार द्वारा प्रेषित शपथ पत्र बाद में असत्य पाये जाने पर ठेका समाप्त किया जा सकेगा। ई.पी.एफ./ई.एस.आई. की राशि का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के नाम से ही होना चाहिए किसी अन्य संघ/संस्था के नाम से नहीं होना चाहिये। निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को प्रत्येक श्रमिक का ई.एस.आई. कार्ड बनवाकर एक माह में देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में शिकायत पाये जाने पर प्रत्येक श्रमिकवार राशि रू. 1000/– तक की पेनाल्टी निविदाकार पर लगाई जाएगी। सफल निविदाकार यदि रायपुर शहर से बाहर का है तो उन्हें अनुबंध के उपरांत कर्मचारी राज्य बीमा, रायपुर कार्यालय का सब कोड **(Sub Code)** तत्काल लेना आवश्यक है, जिससे कि श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सा लाभ ले सके तथा चिकित्सा अवकाश अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान श्रमिक ठेकेदार द्वारा किया जाना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में उक्त पारिश्रमिक का कटौत्रा श्रमिक ठेकेदार के आगामी माह के देयक से किया जाकर संबंधित श्रमिक को भुगतान किया जायेगा।
11	जिस कार्य की निविदा स्वीकृत की गई है उससे संबंधित कार्य हेतु प्रतिदिन प्रति पाली प्रबंधन की आवश्यकतानुसार सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। यदि अतिरिक्त श्रमिक की आवश्यकता होगी तो संबंधित शाखा द्वारा श्रमिक ठेकेदार को यथा समय सूचना मौखिक/लिखित दी जावेगी। सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार का दायित्व होगा की वह प्रबंधन के निर्देशानुसार श्रमिकों की पूर्ति सुनिश्चित करेगा ताकि कार्य की गतिशीलता प्रभावित न हो तथा आवश्यक होने पर इन श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। यदि व्यवस्था करने में श्रमिक ठेकेदार असफल होता है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई महासंघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को देय भुगतान से वसूल की जा सकेगी तथा आर्थिक शास्ति भी अधिरोपित की जायेगी। इस विषय में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा तथा निविदाकार हेतु बंधनकारी होगा।
12	सफल निविदाकार को उसकी निविदा स्वीकृत होने के पश्चात दस दिवस की अवधि में समस्त श्रमिकों की जो उसके द्वारा नियोजित किये गये हैं, उनके लिये वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत बीमा कम्पनी से प्रति श्रमिक अधिकतम रू. 1,00,000/– की दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी लेना होगी तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसी पॉलिसी संपूर्ण ठेके की अवधि तक प्रभावशील/वैध होना जरूरी है। ठेका अवधि में वृद्धि होने पर पालिसी का नवीनीकरण तुरंत कराना होगा। इस हेतु बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति दुग्ध महासंघ द्वारा की जावेगी। यदि कार्य करते समय किसी श्रमिक का एक्सीडेंट हो जाय तो ऐसी परिस्थिति में वर्क्समेन कम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चों आदि का पूर्ण खर्च श्रमिक ठेकेदार को देना होगा। प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

Dy. Gen. Manager (P & A)
C.G State Coop. Dairy Fed. Ltd.
Urla, Dist. Durg (C.G.)

13	किसी भी श्रमिक की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं कार्य करने वाले श्रमिक की शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिए। इस संबंध में प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा। यदि प्रबंध पक्ष द्वारा महिला श्रमिकों को कार्य पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तो उनकी कार्यावधि प्रातः 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे के मध्य तक रहेगी। रात्रि में महिला श्रमिक को कार्य पर नहीं रखा जावेगा।
14	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को सुरक्षा निधि **(Security Deposit)** रूपये 30.00 लाख (रु. तीस लाख मात्र) अनुबंध के समय जमा करनी होगी। इस हेतु सफल निविदाकार की धरोहर राशि (Earnest Money) राशि रू. 3,00,000/– (रु तीन लाख मात्र) को सुरक्षा निधि में समायोजित किया जावेगा। साथ ही सफल निविदाकार को शेष राशि रू 27,00,000/– (रू. सत्ताईस लाख मात्र) को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ''छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित'' के नाम से जमा करनी होगी जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा। तदोपरांत प्रदायित श्रमिकों को भुगतान होने वाली न्यूनतम मजदूरी की एक माह की राशि यदि उक्त जमा सुरक्षा निधि से अधिक होती है तो अंतर की राशि 3 माह में किश्तों में सुरक्षा निधि स्वरूप जमा करना अनिवार्य होगा। यदि निविदाकार द्वारा अंतर की राशि जमा नहीं कराई जाती है तो उक्त राशि का समायोजन निविदाकार के देयकों से किया जा सकेगा। उक्त सुरक्षा निधि ठेका समाप्त होने के पश्चात महासंघ के समस्त विभागों से अदेय प्रमाण पत्र एवं कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा कार्यालय एवं सर्विस टेक्स आदि से संपूर्ण ठेका अवधि की निरीक्षण टीप (एन.ओ.सी.) दुग्ध महासंघ में जमा कराने के पश्चात ही वापस की जावेगी। जमा सुरक्षा निधि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
15	श्रमिक ठेकेदार द्वारा दुग्ध महासंघ में प्रदाय किये गये अपने श्रमिकों को प्रत्येक माह में उनकी उपस्थिति (हाजिरी) के अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार मजदूरी का भुगतान स्वयं के स्त्रोतों से अनिवार्यतः बैंक खाते के माध्यम से आगामी माह की सात (07) तारीख के पूर्व करना होगा तथा उसमें ई.पी.एफ., ई.एस.आई, श्रमिक कल्याण निधि इत्यादि का नियमानुसांर कटौत्रा करने की संपूर्ण जबाबदारी ठेकेदार की होगी। अधिनियमित कटौत्रे समय पर जमा करने की जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। श्रमिक ठेका आबंटन के कार्यादेश दिनांक से एक माह की अवधि में निविदाकार को सभी श्रमिकों के बैंक एकाउंट खोलना अनिवार्य होगा तथा श्रमिकों के वेतन व स्वत्वों का भुगतान बैंक एकाउंट के माध्यम से ही करना होगा। मजदूरी से संबंधित किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान/कम भुगतान की जबाबदारी निविदाकार की होगी। प्रबंधन इस संबंध में जबाबदार नहीं होगा। श्रमिकों को उचित भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निविदाकार द्वारा समस्त श्रमिकों को वेतन पर्ची **(Salary Slip)** दी जावेगी, जिसकी एक प्रति महासंघ कार्यालय में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है । ठेकेदार द्वारा सभी श्रमिकों के बैंक खाते खुलवाकर महासंघ को बैंक खातों की सूची की प्रति दी जावेगी। मजदूरों को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि देने में ठेकेदार विफल हो जाता है या नियमानुसार जमा योग्य अन्य राशि जमा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में भुगतान राशि ठेकेदार की सुरक्षा निधि **(Security Deposit)** राशि से या देय योग्य राशि में से महासंघ ठेकेदार के नाम से जमा करा देगा और शेष बची राशि वापस करेगा या ज्यादा राशि होगी तो ठेकेदार से भूराजस्व की बकाया राशि की भॉति वसूल की जावेगी।

Dy. Gen. Manager (P & A)
C.G State Coop. Dairy Fed. Ltd.
Urla, Dist. Durg (C.G)

16	प्रत्येक पाली में श्रमिक ठेकेदार या उसके द्वारा नियुक्त/नियोजित पर्यवेक्षक को संपूर्ण अवधि में उपस्थित रहना आवश्यक है जिससे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके एवं किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जा सके। यदि पर्यवेक्षक किसी पाली में उपस्थित नहीं पाया जाता है तो अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा । पाली के प्रारंभ व अंत में शाखा प्रभारी से किये गये कार्य का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।
17	श्रमिक ठेकेदार द्वारा रखे गये श्रमिकों को फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, परिचय पत्र, अवकाश कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड आदि देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा व्यवस्थित रिकार्ड निविदाकार को पूरा रखना होगा एवं समय–समय पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा तथा महासंघ द्वारा मांग करने पर भी उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
18	श्रमिक ठेकेदार के नियुक्त श्रमिकों द्वारा किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य में लिप्त पाये जाने/अनुशासनहीनता करने, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल आदि करने पर संबंधित श्रमिक को पारिश्रमिक देय नहीं होगा तथा ऐसे श्रमिकों को तत्काल प्रभाव से कार्य से हटाना होगा एवं श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध रू. 1,000/– प्रति श्रमिक अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जा सकेगा, जिसकी वसूली दुग्ध महासंघ द्वारा ठेकेदार के देयक में से की जा सकेगी। दोषी पाये गये श्रमिकों को किसी भी दशा में पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा।
19	संयंत्र/कार्यालय परिसर में मदिरापान, धूम्रपान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है। श्रमिक द्वारा मदिरापान, धूम्रपान, गुटखा, पान, तम्बाकू इत्यादि का उपयोग करते हुये पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार के ऊपर रू. 500/– प्रति श्रमिक का अर्थदण्ड़ अधिरोपित किया जायेगा। श्रमिक द्वारा लगातार यह कृत्य किये जाने पर उसे भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जायेगा।
20	श्रमिक ठेकेदार के श्रमिक की गलती से या असावधानी से दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या महासंघ की संपत्ति को क्षति होती है या वे किसी प्रकार की चोरी, जानबूझ कर नुकसान करने आदि में संलग्न पाये जाते हैं, तो क्षति की राशि का दो गुना/ज्यादा एवं चोरी की स्थिति में सामग्री की राशि के 50 गुना अर्थदण्ड प्रबंधन पक्ष द्वारा अर्थदण्ड लगाया जावेगा जिसकी वसूली उन के देयक से की जावेगी तथा इसके संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा। गंभीर अनियमितताओं में लिप्त श्रमिक को भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जा सकेगा।
21	श्रमिक ठेकेदार को अच्छे आचरण एवं चरित्र के श्रमिक देना होंगें। उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरूद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई श्रमिक डेरी संयंत्र/कार्यालय परिसर में अभद्र व्यवहार या लडाई झगड़ा करता हुआ पाया जाता है अथवा महासंघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो ठेकेदार को ऐसे श्रमिक तत्काल हटाना होंगें। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराधिक प्रवृत्ति/सजायाफ्ता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें। अगर ऐसा पाया गया तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी श्रमिक द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर प्रति श्रमिक राशि रूपये 1,000/– तक अर्थदण्ड ठेकेदार पर अधिरोपित किया जा सकेगा।
22	श्रमिकों द्वारा किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। वे महासंघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग नहीं लेगें। यदि कोई श्रमिक कर्मचारी यूनियन से सदस्यता लेता है या महासंघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग लेता है या संयत्र को बंद कराता है तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त करना ठेकेदार की अनिवार्य जिम्मेदारी होगी। दोषी पाये गये श्रमिक को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति श्रमिक रूपये 1,000/– तक

Dy. Gen. Manager (P & A)
C.G. State Coop. Dairy Fed. Ltd.
Urla, Dist. Durg (C.G.)

	अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा, जिसकी वसूली श्रमिक ठेकेदार के देयकों में से की जा सकेगी। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा संबंधित श्रमिक को सेवा से पृथक नहीं किया जाता है व अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड कर ठेका समाप्त कर दिया जायेगा तथा जमा सुरक्षा निधि/धरोहर राशि को भी जप्त कर किया जा सकेगा।
23	प्रबंधन के निर्देशानुसार श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों की सामयिक चिकित्सा जॉच करवानी होगी तथा तत्संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य पर लगाये गये श्रमिकों को वर्ष में दो बार (प्रत्येक छः माह में) एण्टी टिटनेस का इंजेक्शन ठेकेदार को लगवाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को दी जाना आवश्यक होगी। भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर व्यय की प्रतिपूर्ति महासंघ द्वारा की जावेगी। श्रमिक ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को छूत की बीमारी या अन्य कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई श्रमिक आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधायें ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होंगी। ऐसा न करने की स्थिति में यदि प्रबंधन द्वारा यह सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसकी राशि श्रमिक ठेकेदार से वसूली जावेगी तथा आर्थिक दण्ड़ भी लगाया जा सकेगा।
24	समय–समय पर शासन द्वारा न्यूनतम वेतन की दरें बढ़ाई जाने पर श्रमिक ठेकेदार को तदानुसार श्रमिकों की मजदूरी का पूर्ण भुगतान करना होगा। श्रमिक ठेकेदार को उसके कर्मचारियों पर लागू होने वाले समस्त श्रम अधिनियमों, कारखाना अधिनियम तथा अन्य वैद्यानिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है। श्रमिक ठेकेदार को श्रम नियमानुसार समस्त वर्तमान प्रावधानों व भविष्य में शासन द्वारा किये जाने वाले संशोधनों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि श्रमिक ठेकेदार इन नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में दुग्ध महासंघ द्वारा नियमों का पालन करने के लिए किये गये व्यय की वसूली श्रमिक ठेकेदार के देयक से की जावेगी। साथ ही आर्थिक दण्ड़ भी लगाया जा सकेगा।
25	संयंत्र परिसर में कोई भी श्रमिक टिफिन, बोतल, बैग इत्यादि लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा तथा दुग्ध महासंघ प्रबंधन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही रखेगा, अन्यथा रू. 100/– प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड श्रमिक ठेकेदार पर अधिरोपित किया जाकर उनके देयकों से वसूल किया जावेगा।
26	श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रत्येक माह की 07 तारीख तक गत माह में किये गये कार्यो/लगाये गये श्रमिकों का मानव दिवस (Mandays) के आधार पर प्रथमतः स्वयं के स्त्रोतों से भुगतान करने के उपरांत शाखा वार सत्यापित बिल प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा। देयकों के साथ मुख्य पत्र (कवरिंग लेटर) प्रस्तुत करना, जिसमे देयक क्रमांक/दिनांक, शाखा का नाम एवं राशि का उल्लेख होना आवश्यक है। श्रमिक ठेकेदार द्वारा पूर्ण एवं सही बिल, जिसका जिक इन कंडिकाओं में किया गया है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, तो परीक्षण उपरांत उसका भुगतान उस माह की 25 तारीख तक प्रबंधन की शर्तो के अंतर्गत किया जावेगा। देयक के साथ प्रबंधन द्वारा दिये गये प्रारूप में श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों के वेतन पत्रक एवं भुगतान पत्रक संलग्न करना आवश्यक है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की वेतन दर, वेतन एवं उसमें से किये गये कटौत्रे एवं भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा एवं अन्य कटौत्रे दर्शाते हुए शुद्ध वेतन भुगतान का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अपूर्ण देयकों को यथास्थिति में वापस किया जायेगा, जिसके विलंब से भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। श्रमिक ठेकेदार के देयक से आयकर का नियमानुसार टीडीएस कटौत्रा कर आयकर विभाग में जमा किया जावेगा एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति उपरांत श्रमिक ठेकेदार द्वारा संघ से किये गये कटौत्रे का विवरण प्राप्त किया जा सकेगा।

Dy. Gen. Manager (P & A)
C.G State Coop. Dairy Fed. Ltd.
Urla, Dist. Durg (C.G.)

27	निविदाकार को निविदा के साथ आयकर का PAN कार्ड की छायाप्रति तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 (कर निर्धारण वर्ष 2015–16) एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 (कर निर्धारण वर्ष 2016–17) हेतु जमा किये गये रिर्टन की स्वसत्यापित छायाप्रतियां संलग्न करना होगी।
28	श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक श्रमिक के नाम से ई.पी.एफ./ई.एस.आई खाता खोलना होगा तथा प्रतिमाह ई.पी.एफ./ई.एस.आई का अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु ई.पी.एफ./ई.एस.आई अंशदान के सत्यापित ऑनलाइन चालान एवं सत्यापित ऑनलाइन सूची जनरेट कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ताकि दुग्ध महासंघ स्तर से निर्धारित तिथि तक भुगतान किया जा सके। कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय में प्रतिमाह/छःमाही/वार्षिकी रिटर्न, जो वैधानिक तौर पर जमा कराया जाना अनिवार्य हो, की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ एवं कर्मचारियों की सूची सहित महासंघ कार्यालय में जमा करनी होगी। ई.पी.एफ./ई.एस.आई अंशदान जमा कराने हेतु प्रतिमाह जनरेट कर प्रस्तुत किये गये ऑनलाइन चालानों पर भी यह टीप दी जानी होगी कि **" इस चालान द्वारा माह ..... में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को प्रदाय किये गये कुल ..... (संख्या) ठेका श्रमिकों का ई.पी.एफ/ई.एस.आई अंशदान (..... प्रतिशत) राशि रु. ..... जमा कराया है तथा किसी भी श्रमिक का नाम छोडा नहीं गया है"** इस आशय का प्रमाण पत्र ऑनलाइन चालान के पीछे देना अनिवार्य होगा । इस हेतु श्रमिक ठेकेदार के द्वारा दिया गया कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा। ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के कटौत्रे का ब्योरा प्रतिमाह की वेतन स्लिप में उल्लेख करना होगा। सर्विस चार्ज केवल पारिश्रमिक **(Wages)** पर ही देय होगा। श्रमिक ठेकेदार को ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के ऑनलाइन चालानों को प्रतिमाह जनरेट कर मासिक देयकों के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। मासिक देयकों के साथ प्रतिमाह ई. पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के ऑनलाइन चालानों को जनरेट कर प्रस्तुत नहीं किये जाने पर श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध राशि रू 1,00,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा तथा चालान प्रस्तुत किये जाने पर ही संबंधित माह के देयकों को पारित किया जा सकेगा। इस संदर्भ में श्रमिक ठेकेदार से कोई पत्र व्यवहार अथवा अपील मान्य नहीं होगी। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयसीमा में ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई अंशदान के चालानों को जनरेट कर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप श्रमिकों का ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई. अंशदान जमा कराने में विलंब होता है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व श्रमिक ठेकेदार का होगा।
29	श्रमिक ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों, औद्योगिक स्वास्थ एवं सुरक्षा अधिनियम , संविदा श्रमिक अधिनियम एवं कारखाना अधिनियम आदि के अंतर्गत वांछित प्रारूपों में जानकारी प्रस्तुत करना होगी व मांगने पर उक्त रिकार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। प्रतिमाह श्रमिक ठेकेदार को श्रमिकों की सूची व सभी रजिस्टर मासिक देयकों के साथ प्रस्तुत करने होंगे। श्रमिक ठेकेदार की कार्य प्रणाली ऐसी हो कि किसी भी शासकीय विभाग से किसी भी प्रकार की शिकायत महासंघ को प्राप्त नहीं होना चाहिये। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा वैधानिक नियमों का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप शासन द्वारा आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाता है तो उसकी वसूली श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी।
30	दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामे की वसूली तीनो पार्टी (पक्षो) क्रमशः वितरक, श्रमिक ठेकेदार एवं सुरक्षा एजेंसी से बराबर–बराबर राशि वसूली जायेगी। साथ ही दूध वाहन में चढ़ाने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को हटाया जायेगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता है तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट अर्थात् दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना अर्धदण्ड श्रमिक ठेकेदार पर लगाया जायेगा । इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 20 गुना आर्थिक दण्ड श्रमिक ठेकेदार पर अधिरोपित किया जावेगा। इस सबंध में बने पंचनामें में संयंत्र परिसर में उपस्थित एक अधिकारी, जो कि प्रबंधक अथवा उससे वरिष्ठ स्तर का हो, के हस्ताक्षर आवश्यक है।

Dy. Gen. Manager (P & A)
C.G State Coop. Dairy Fed. Ltd.
Urla, Dist. Durg (C.G)

31	वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि एवं श्रमिकों को भुगतान करने का संपूर्ण दायित्व श्रमिक ठेकेदार का होगा। भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत करने पर महासंघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को प्रतिपूर्ति की जावेगी किन्तु इस पर किसी भी प्रकार का सर्विस चार्ज देय नहीं होगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत देयकों के विरूद्ध प्रतिमाह नियमानुसार जमा योग्य सर्विस टैक्स की राशि का भुगतान कर देयक के साथ चालान प्रस्तुत करना होगा।
32	भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नवीन शर्तों को जोडा जा सकता। यदि परिस्थितियों/नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/समावेश किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा। असहमति की दशा में दो माह की पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।
33	श्रमिक ठेकेदार के संबंध में प्रबंधन यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी बीमा योजना/ठेकेदार द्वारा दिये गये संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में संबंधित निकायों /उपक्रमों/विभागों पूर्व नियोक्ताओं से पत्राचार कर यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है, जो श्रमिक ठेकेदार ने अपनी निविदा इत्यादि में उल्लेख न कर उसे छुपाने का प्रयास किया है, तो उसका ठेका किसी भी समय समाप्त किया जायेगा।
34	श्रम नियमानुसार श्रमिकों को श्रमिक ठेकेदार द्वारा भुगतान करना होगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह श्रम नियमानुसार अपने श्रमिकों से प्रतिमाह 26/27 दिवस से अधिक दिवस कार्य न करायें। साथ ही रिलीवर/एवजी की व्यवस्था भी ठेकेदार को करना होगी, जिसका भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर महासंघ द्वारा ठेकेदार को प्रतिपूर्ति की जावेगी। श्रमिक ठेकेदार को श्रमिकों की संख्या के आधार पर भुगतान न करते हुए मानव दिवस (Mandays) के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
35	श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्री–पैक शाखा/दुग्ध पदार्थ उत्पाद शाखा में उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों द्वारा यदि कार्य के समय पैकेट में कम वजन, लीकेज, डेमेज वाले पैकेटस् या निर्धारित संख्या से अधिक रखे जाते हैं या प्रोसेसिंग/उत्पादन, फिलिंग/पैकिंग, भण्डारण एवं हेण्डलिंग के दौरान दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ में कोई बाहरी तत्व यथा कीडे/मकौडे/बाल /कॉच का टुकडा आदि पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार को इसके लिए उत्तरदायी मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं अर्थ दण्ड भी अधिरोपित किया जावेगा साथ ही महासंघ को होने वाली आर्थिक हानि की पूर्ति भी श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी।
36	यदि किसी श्रमिक के पास वैधानिक लायसेंस (वाहन चालन) है एवं उससे वाहन चालक के रूप में कार्य लिया जाता है तो ऐसे श्रमिक द्वारा लासेंस की छायाप्रति महासंघ कार्यालय मे प्रस्तुत करने पर उसे कुशल श्रमिक की दर से भुगतान किया जावेगा। इसी प्रकार यदि कोई श्रमिक आई.टी.आई./कम्प्यूटर प्रशिक्षित है तो उसे प्रबंधन से अनुमोदन पश्चात कुशल श्रमिक की दर से भुगतान किया जा सकेगा।
37	श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को बताये गये अधिकृत पते अनुसार आयकर का PAN नं., कर्मचारी भविष्य निधि कोड नं., कर्मचारी बीमा कोड नं. एवं सर्विस टैक्स का कोड नं की जानकारी स्पष्टतः देनी होगी।
38	श्रमिकों को कारखाना अधिनियम के परिपालन में एक ही पाली से निरंतर कार्य पर नहीं रखा जा सकता है। श्रमिक ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक श्रमिक की पाली नियमानुसार बदले ऐसा नहीं पाया जाने पर श्रमिक ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एवं आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जावेगी।

Dy. Gen. Manager (P & A)
C.G. State Coop. Dairy Fed. Ltd.
Urla, Dist. Durg (C.G.)

39	श्रमिक ठेकेदार को प्रतिमाह कार्य पर रखे श्रमिकों की संख्या मय् नाम, उपनाम, पिता का नाम, ई.पी.एफ नं, यू.ए.एन नं, ई.एस.आई नं एवं उनके कार्य दिवस की संख्या का प्रतिवेदन शाखावार तैयार कर कार्मिक एवं प्रशासन शाखा को मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक होगा अन्यथा आर्थिक दण्ड़ लगाया जायेगा।
40	श्रमिक ठेकेदार को दुग्ध महासंघ के टाईम आफिस पर कारखाना अधिनियम अंतर्गत अनुशंसित श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा, जिसमें उसके या उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन, प्रति पारी में प्रदाय किये जाने वाले श्रमिकों का विवरण उपलब्ध रहेगा। अधिकृत निरीक्षक अथवा महासंघ के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मॉगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा। श्रमिक ठेकेदार या उनके पर्यवेक्षक को प्रतिदिन उस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
41	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, उरला में कार्यरत सुरक्षा ठेकेदार, संचालक मण्डल के सदस्यों/उनके परिजनों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारियों/कर्मचारियों/अधिकारियों/उनके परिजनों को श्रमिक ठेका प्रदान नहीं किया जावेगा।
42	श्रमिक ठेकेदार अथवा प्रबंधन को ठेके की अवधि के मध्य दो माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त करने का अधिकार होगा ।
43	श्रमिक ठेकेदार द्वारा उपरोक्त उल्लेखित शर्तो व कार्य के विवरण में दी गई सूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है। यदि इनमें से कोई भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो दिया गया ठेका निरस्त कर सुरक्षानिधि जब्त की जा सकेगी व आर्थिक दण्ड के साथ साथ उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर श्रमिक ठेकेदार को महासंघ की काली सूची में डाला जाकर भविष्य में होने वाली महासंघ की किसी भी निविदा या अन्य कार्यवाही मे भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
44	यदि एक से अधिक निविदाकारों द्वारा एक समान दरें प्रस्तुत की जाती है तो ठेका आबंटन हेतु लॉटरी के माध्यम से निर्णय लिया जायेगा। लॉटरी के समय निविदाकार/उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। इस हेतु निविदाकार को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या., उरला को संबोधित पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, जिसमें प्रतिनिधि को अधिकृत करने का उल्लेख हो।
45	यदि ठेके की शर्तो के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो विवाद को "आर्बिट्रेशन"/"अधिनिर्णयार्थ" प्राधिकृत अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, उरला को सौंपा जावेगा। प्राधिकृत अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, उरला का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
46	किसी भी वाद–विवाद की सुनवाई "दुर्ग न्यायालय" के क्षेत्राधिकार में ही होगी ।
47	यदि श्रमिक ठेकेदार का मुख्यालय रायपुर शहर के अतिरिक्त अन्य कहीं है तो उसे रायपुर शहर में एक स्थानीय कार्यालय भी खोलना अनिवार्य होगा जिसका पूर्ण पता देना होगा ताकि, प्रबंधन द्वारा पत्राचार उक्त कार्यालय के माध्यम से किया जा सके।

——00——

Dy. Gen. Manager (P & A)
C.G. State Coop. Dairy Fed. Ltd.
Urla, Dist. Durg (C.G.)

(ब) तकनीकी निविदा के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु निविदाकारों के लिये दिशा निर्देश –

तकनीकी बिड अंतर्गत दुग्ध महासंघ द्वारा निविदाकार से अनिवार्यतः वांछित प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची संलग्न प्रपत्र क्रमांक – 02 में दिये गये अनुसार है। निविदाकार द्वारा वांछित दस्तावेजों में से किन किन दस्तावेजों को संलग्न किया गया है अथवा विवरण प्रेषित किया गया है, का उल्लेख करते हुये प्रपत्र क्रमांक 2 में प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. उरला को संबोधित पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

1. तकनीकी अर्हता क्रमांक 13 एवं 17 हेतु पृथक–पृथक शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. तकनीकी निविदा खोले जाने के पश्चात् निविदाकार या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को दिनांक ..... को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर तकनीकी अर्हतायें से संबंधित समस्त दस्तावेजों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से कराना अनिवार्य है।
3. धरोहर राशि के डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति को जमा कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु उक्त मूल प्रति को एक सील बंद लिफाफे में डालकर लिफाफे पर निविदा का संदर्भ अंकित करते हुये "धरोहर राशि" लिखा जावे।
4. "निविदा की समान्य शर्तें" पर सहमति दर्शाते हुये सील सहित हस्ताक्षर युक्त प्रपत्र क्रमांक 1 की प्रति एवं प्रपत्र क्रमांक 2 "अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें" में विवरण अंकित करते हुये उसकी सत्यापित प्रति तथा तकनीकी अर्हताओं के 19 बिन्दुओं से संबंधित संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियां अन्य सील बंद लिफाफे में डालकर जमा कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु इस लिफाफे पर निविदा का संदर्भ अंकित करते हुये प्रपत्र क्रमांक 1 "निविदा की सामान्य शर्तें" एवं प्रपत्र क्रमांक 2 "अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें" लिखा जावे।
5. उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 3 एवं 4 में उल्लेखित दोनों सील बंद लिफाफों को एक पृथक लिफाफे में डालकर सील कर इस लिफाफे पर भी निविदा का संदर्भ अंकित करते हुये "मुख्य डेयरी संयंत्र श्रमिक ठेका निविदा वर्ष 2017–19" लिखा जावे एवं निविदाकार का नाम एवं पूर्ण पता भी लिखा जावे। इस लिफाफे को कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, उरला में दिनांक 06.03.2017 को दोपहर 02:00 बजे तक अनिवार्यतः जमा करना होगा । निर्धारित समय के पश्चात् प्रेषित उक्त दस्तावेजों को प्राप्त नहीं किया जावेगा तथा संबंधित निविदाकार की निविदा को अमान्य किया जावेगा।
6. निविदा प्रपत्रों में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी इसलिए अपनी शर्तों का उल्लेख निविदा प्रपत्रों में नहीं करें।
7. तकनीकी अर्हताओं के परीक्षण उपरांत समस्त अर्हता रखने वाले निविदाकर्ताओं की ही भाव दर खोली जायेंगी।

--2--

Dy. Gen. Manager (P & A)
C.G. State Coop. Dairy Fed. Ltd.
Urla, Dist. Durg (C.G.)

8. निविदा प्रपत्रों में दी गई जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवंटित ठेका निरस्त कर धरोहर राशि **(Earnest Money)** राजसात की जावेगी ।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित,
उरला, बी.एम.वाय. चरोदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

उपरोक्त निविदा की शर्त कमांक 1 से 47 तक सभी शर्ते मैंने पढ़ी और समझी हैं । उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दर प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :–.....

दिनांक :–.....

नाम :– .....

पत्राचार हेतु पता :– .....

.....

दूरभाष/मो.नं. :– .....

––00––

Dy. Gen. Manager (P & A)
C.G State Coop. Dairy Fed. Ltd.
Urla, Dist. Durg (C.G)

कार्यालय – छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महसंघ मर्यादित
उरला, बी.एम.वाय. चरोदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

प्रपत्र – II

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.,
उरला, बी.एम.वाय. चरोदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

महोदय,

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के उरला जिला–दुर्ग स्थित मुख्य डेयरी संयंत्रमें आवश्यक सेवाओं को संपादित करने के लिये ठेके पर श्रमिक/सेवा कर्मियों को प्रदाय करने हेतु दिनांक ..... को समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं । यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार श्रमिक प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ । अतः मैं एतद् द्वारा धरोहर राशि **(Earnest Money)** रू. 3,00,000/– (रूपये तीन लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ..... दिनांक ..... जो कि, ... बैंक, शाखा का नाम ..... का है एवं ''छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, उरला'' के नाम देय है, को संलग्न कर रहा हूँ एवं निम्न तकनीकी अर्हतायें के लिये प्रमाण के तौर पर वांछित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ।

अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें

कं0	आवश्यक अर्हता	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज	संलग्न है या नहीं अंकित करें/विवरण देवें
1	ठेकेदार का नाम व पता संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)	पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/ प्रमाणपत्र।	है/नही
2	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।	संस्था/फर्म के संचालक मण्डल/प्रबंध संचालक का अधिकार पत्र।	है/नहीं
3	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता	पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।	है/नहीं
4	श्रमिक ठेके संबंधी जीवित लायसेंस क्रमांक।	श्रम विभाग का पत्र/ प्रमाण पत्र।	है/नही
5	भविष्य निधि कोड नं.।	क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र।	है/नही
6	कर्मचारी राज्य बीमा कोड नं.।	कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र ।	है/नहीं

--2--

Dy. Gen. Manager (P & A)
C.G. State Coop. Dairy Fed. Ltd.
Urla, Dist. Durg (C.G.)

7	सर्विस टैक्स पंजीयन कोड।	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग का पत्र/प्रमाण पत्र।	है/नही
8	वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 का आयकर का रिर्टन जमा करने का प्रमाण।	PAN कार्ड की छायाप्रति एवं आयकर विभाग में रिर्टन जमा करने की पावती एवं प्रमाण।	है/नहीं
9	वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 का टर्न ओव्हर प्रतिवर्ष रू. तीन करोड से अधिक अनिवार्यतः होना चाहिए।	Chartered Accountant द्वारा प्रमाणित वित्तीय पत्रक एवं लाभ/हानि खाते (Profit – Loss A/Ç) की प्रमाणित छायाप्रति तथा ऑडिट रिपोर्ट (फार्म 3 सी बी एवं 3 सी डी)।	है/नहीं
10	प्रतिष्ठित औद्योगिक/वाणिज्यक संस्था में गत 2 वित्तीय वर्षों (2014–15 एवं 2015–16) में ठेके पर श्रमिक प्रदाय किये हों तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में न्यूनतम 200 दिन तक औसतन कम से कम 300 श्रमिक प्रतिदिन प्रदाय किये हों (संस्था का नाम व पता जहॉ श्रमिक प्रदाय किये गये हों)	नियोक्ता के कार्य आदेश की प्रति एवं अनुभव का प्रमाण पत्र।	है/नहीं
11	भविष्य निधि अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में जमा कराये गये ई. पी. एफ की राशि के चालानों की छायाप्रति।	है/नही
12	कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में जमा कराये गये ई. एस.आई की राशि के चालानों की छायाप्रति।	है/नहीं
13	कारखाना एवं श्रम विभाग में प्रकरण/वाद आदि विचाराधीन/ लंबित न होने का शपथ–पत्र।	नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रू 50/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	है/नहीं
14	क्या निविदाकर्ता का रायपुर शहर में कार्यालय है।	यदि हॉ, तो पूर्ण पते का उल्लेख करें।	
15	क्या आपकी संस्था छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी है अथवा कर रही है।	यदि हॉ, तो पूर्ण विवरण देवें।	
16	क्या आपकी संस्था डेयरियों/खाद्य्य विभाग/सहकारी दुग्ध संघ में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी है अथवा कर रही है।	यदि हॉ, तो पूर्ण विवरण देवें।	

Dy. Gen. Manager (P & A)
C.G. State Coop. Dairy Fed. Ltd.
Urla, Dist. Durg (C.G.)

17	क्या उक्त संस्थाओं में ई.पी.एफ, ई.एस.आई एवं सर्विस टेक्स इत्यादि का कोई विवाद तो पंजीकृत/ विचाराधीन नहीं है।	यदि विवाद नहीं है, तो नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	है/नहीं
18	क्या उक्त संस्थाओं से आपकी निविदा को निरस्त किया गया है?	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण देवें।	
19	क्या उक्त संस्थाओं से संस्था को ब्लेक लिस्टेड किया गया है?	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण देवें।	

नोटः–

1) उपरोक्त समस्त बिन्दुओं के विरूद्ध जमा किये गये दस्तावेजो की छाया प्रति भी बन्द लिफाफे मे इस प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2) प्रपत्र कमांक–1 ''तकनीकी अर्हताएँ'' से संबंधित दस्तावेज पृथक लिफाफे मे बन्दकर प्रस्तुत किये जावे। लिफाफे के उपर प्रपत्र–1 ''तकनीकि अर्हताएफ'' लिखा जावें।
3) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर धरोहर राशि (Earmest Monet) राजसात की जा सकेगी।
4) धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/एम.आर. स्केन करके जमा करने के उपरान्त मूल प्रति पृथक लिफाफे मे उपरोक्त 1,2,3 के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
5) उपरोक्त सभी दस्तावेज निविदा खुलने के पूर्व अर्थात दिनांक 06–03–2017 को अपरान्ह 2.00 बजे तक कार्यालय – छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, उरला में जमा करना अनिवार्य है।

मैंने निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा की शर्त तथा अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु दिये गये दिशा निर्देश पूर्णतः पढ़ लिये एवं समझ लिये हैं और उस में दिये गये निर्देश के अनुसार ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले रहा हूं।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :–.....

दिनांक :–.....

नाम :– .....

पत्राचार हेतु पता :– .....

.....

दूरभाष/मो.नं. :– .....

––00––

Dy. Gen. Manager (P & A)
C.G State Coop. Dairy Fed. Ltd.
Urla, Dist. Durg (C.G.)

प्रपत्र III

<u>रायपुर डेयरी संयंत्र उरला में सम्पादित होने वाले कार्य</u>

1– डेयरी संयंत्र में सम्पादित होने वाले कार्य –

–दुग्ध पदार्थो का निर्माण/पैकिंग/ स्टेकिंग तथा दूध के केन, केट, धुलाई तथा जमाना, परिसर/शौचालय की साफ–सफाई करना आदि एवं शिफ्ट इंचार्ज के निर्देशानुसार कार्य संपादित करना। इसके अतिरिक्त विभिन्न केन्द्रों में दुग्ध संसाधन संबंधी कार्य करना ।

2– यांत्रिकी शाखा में संपादित होने वाले कार्य –

–छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ से सम्बद्व शीत केन्द्र यथा–बिलासपुर, बसना, धमतरी, पखांजूर तथा इसी प्रकार अन्य डेयरियों से छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ के टेंकर में दूध लाना अथवा ले जाने से संबंधित कार्य है जिसके अनुसार दुग्ध महासंघ में कार्य के दृष्टिगत मांग के अनुसार तथा आवश्यकतानुसार दुग्ध महासंघ के टेंकर भेजते हुए दूध लाना या ले जाना पडता है। इस हेतु ड्रायवर एवं हेल्पर के रूप में व्यक्ति उपलब्ध करवाना।

3– गुण नियंत्रण शाखा में संपादित होने वाले कार्य–

–उरला दुग्ध संयंत्र में सुबह एवं शाम पाली में समितियों से प्राप्त दूध की समितिवार सेम्पल लेना, समितिवार टेस्टिंग करना एवं उक्त सेम्पलिंग एवं टेस्टिंग के निर्धारित प्रारूप में प्रविष्टि किए जाने का कार्य रायपुर दुग्ध महासंघ के कर्मियों द्वारा किया जाता है। उक्त कार्यो में सहायता हेतु व्यक्ति उपलब्ध कराना।

4– भण्डार शाखा में संपादित होने वाले कार्य –

–दुग्ध संयंत्र में बाहर से आने वाले विभिन्न प्रकार के सामान, पशु आहार इत्यादि की प्रविष्टि सुरक्षा गेट पर करवाते हुए सामान की लोडिंग/अनलोडिंग करने संबंधी कार्य व लेखा प्रविष्टि हेतु कम्प्यूटर आपरेटर उपलब्ध कराना।

5– वित्त शाखा में संपादित होने वाले कार्य –

–उरला संयंत्र में वित्त शाखा से प्रतिदिन विभिन्न बैंकों को जारी होने वाले चैक बैंक में जमा करना, समितियों के एडवाईज बैंक में जमा करना तथा बैंक से पुनः प्राप्त कर वित्त शाखा में लाना तथा इसी प्रकार रायपुर के सिटी कार्यालय से कोरियर के माध्यम से प्राप्त डाक को लाना तथा डाक विभिन्न कोरियर के माध्यम से भिजवाने संबंधी कार्य। इसके अतिरिक्त लेखापाल/लेखा सहायक के रूप में कार्य करने हेतु कम्प्यूटर आपरेटर/डाटा ऐन्ट्री आपरेटर उपलब्ध कराना। ।

6– प्रशासन शाखा में संपादित होने वाल कार्य–

–प्रशासकीय भवन के समक्ष स्थित बगीचे का रखरखाव संबंधी कार्य करना। परिसर/शौचालय की साफ–सफाई करना, पिउन (भृत्य) के रूप में कार्य करना आदि तथा आवश्यकतानुसार लिपिकीय कर्मचारी/कम्प्यूटर आपरेटर उपलब्ध कराना।

7– विपणन शाखा में संपादित होने वाले कार्य–

–रायपुर स्थित विपणन कार्यालय में अभ्युदय परिसर के शाप से दूध एवं दुग्ध उत्पादों को विक्रय किया जाना तथा विक्रय राशि प्रतिदिन जमा करना एवं छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ के विपणन शाखा डेयरी डाक हेतु चालन की शीट इत्यादि बनाने बाबत कम्प्यूटर आपरेटर एकमुश्त राशि पर रखने हेतु । इसके अतिरिक्त विभिन्न शहरी क्षेत्रों में विक्रय पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने हेतु।

8– क्षेत्र संचालन शाखा में संपादित होने वाले कार्य–

–दुग्ध समितियों की स्थापना एवं पर्यवेक्षक कार्य हेतु ठेका श्रमिक के माध्यम से पर्यवक्षक कार्य हेतु/बिल बनाने के कार्य में सहायता हेतु कम्प्यूटर/डाटा एंट्री आपरेटर उपलब्ध कराना।

Dy. Gen. Manager (P & A)
C.G State Coop. Dairy Fed. Ltd.
Urla, Dist. Durg (C.G.)

9–बसना शीत केन्द्र पर संपादित होने वाले कार्य–

–समितियों से प्राप्त होने वाले कच्चे दूध को डाक पर उतारना, वजन करना, रिकार्डिग करना,सेम्पल करना, दूध को डम्प टेंक में डाला जाना, खाली केन तथा ढक्कन धोना, केन समितिवार जमाकर रखना, कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शीत केन्द्र परिसर तथा मशीन को धोकर सफाई करना उक्त कार्य दिन एवं रात्रि पाली में तीन घन्टे में पूर्ण किया जाना। इसके अतिरिक्त संबंधित कार्य के संबंध में प्रभारी द्वारा निर्देशित कार्यो को पूर्ण करना एवं कम्प्यूटर आपरेटर उपलब्ध कराना होगा। बसना शीत केन्द्र में दूध का संकलन लगभग 20000 से 25000 लीटर प्रतिदिन औसतन रहता है।

10–पखांजूर शीत केन्द्र पर संपादित होने वाले कार्य–

–समितियों से प्राप्त होने वाले कच्चे दूध को डाक पर उतारना, वजन करना, रिकार्डिग करना, सेम्पलिंग करना, दूध को डम्प टेंक में डाला जाना, खाली केन तथा ढक्कन धोना, केन समितिवार जमाकर रखना, कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शीत केन्द्र परिसर तथा मशीन को धोकर सफाई करना। उक्त कार्य दिन एवं रात्रि पाली में दो से तीन घन्टे में पूर्ण किया जाना। इसके अतिरिक्त संबंधित कार्य के संबंध में प्रभारी द्वारा निर्देशित कार्यो को पूर्ण करने हेतु कम्प्यूटर आपरेटर उपलब्ध कराना होगा। पखांजूर शीत केन्द्र में दूध का संकलन लगभग 7000 से 10000 लीटर प्रतिदिन औसतन रहता है।

11–धमतरी शीत केन्द्र पर संपादित होने वाले कार्य–

–समितियों से प्राप्त होने वाले कच्चे दूध को डाक पर उतारना, वजन करना, रिकार्डिग करना, सेम्पलिंग करना, दूध को डम्प टेंक में डाला जाना, खाली केन तथा ढक्कन धोना, केन समितिवार जमाकर रखना, कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शीत केन्द्र परिसर तथा मशीन को धोकर सफाई करना। उक्त कार्य दिन एवं रात्रि पाली में दो से तीन घन्टे में पूर्ण किया जाना। इसके अतिरिक्त संबंधित कार्य के संबंध में प्रभारी द्वारा निर्देशित कार्यो को पूर्ण करना। धमतरी शीत केन्द्र में दूध का संकलन लगभग 7000 से 10000 लीटर प्रतिदिन औसतन रहता है।

12–बिलासपुर शीत केन्द्र पर संपादित होने वाले कार्य–

1– समितियों से प्राप्त होने वाले कच्चे दूध को डाक पर उतारना, वजन करना, रिकार्डिग करना, सेम्पलिंग करना, दूध को डम्प टेंक में डाला जाना, खाली केन तथा ढक्कन धोना, केन समितिवार जमाकर रखना, कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शीत केन्द्र परिसर तथा मशीन को धोकर सफाई करना। उक्त कार्य दिन एवं रात्रि पाली में दो से तीन घन्टे में पूर्ण किया जाना। इसके अतिरिक्त संबंधित कार्य के संबंध में प्रभारी द्वारा निर्देशित कार्यो को पूर्ण करना। बिलासपुर शीत केन्द्र में दूध का संकलन लगभग 3000 से 4000 लीटर प्रतिदिन औसतन रहता है। दुग्ध संकलन औसत उस माह में प्राप्त दूध के आधार पर मान्य होगा।

2– दुग्ध शीत केन्द्र बिलासपुर स्तर पर विक्रय हेतु दुग्ध संसाधन एवं पेकिंग करना, शीतगृह में भंडारण, खाली क्रेट को धोना एवं जमाना तथा विक्रय हेतु वाहन में लोड करना, एक पाली में उक्त कार्य 4 घन्टों में पूर्ण किया जाना रहता है तथा प्रभारी अधिकारी द्वारा दिये गये अन्य निर्देशों पर कार्य करना। बिलासपुर शीत केन्द्र स्तर पर वर्तमान में दुग्ध विक्रय औसत 12000 से 15000 हेतु दरें यथावत रहेंगी।

13–जगदलपुर परियोजना पर संपादित होने वाले कार्य–

1– समितियों से प्राप्त होने वाले कच्चे दूध को डाक पर उतारना, वजन करना, रिकार्डिग करना, सेम्पलिंग करना, दूध को डम्प टेंक में डाला जाना, खाली केन तथा ढक्कन धोना, केन समितिवार जमाकर रखना, कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शीत केन्द्र परिसर तथा मशीन को धोकर सफाई करना। उक्त कार्य दिन एवं रात्रि पाली में दो से तीन घन्टे में पूर्ण किया जाना। इसके अतिरिक्त संबंधित कार्य के संबंध में प्रभारी द्वारा निर्देशित कार्यो को पूर्ण करना।

2– जगदलपुर परियोजना स्तर पर विक्रय हेतु दुग्ध संसाधन एवं पेकिंग करना, शीतगृह में भंडारण, खाली क्रेट को धोना एवं जमाना तथा विक्रय हेतु वाहन में लोड करना तथा जगदलपुर परियोजना द्वारा दिये गये अन्य निर्देशों पर कार्य करना। जगदलपुर परियोजना स्तर पर वर्तमान में दुग्ध विक्रय औसत 2000 से 4000 लीटर हेतु दरें यथावत रहेंगी।

Dy. Gen. Manager (P & A)
C.G. State Coop. Dairy Fed. Ltd.
Urla, Dist. Durg (C.G.)

14–रायगढ़ दुग्ध परियोजना पर संपादित होने वाले कार्य–

1– समितियों से प्राप्त होने वाले कच्चे दूध को डाक पर उतारना, वजन करना, रिकार्डिग करना, सेम्पलिंग करना, दूध को डम्प टेंक में डाला जाना, खाली केन तथा ढक्कन धोना, केन समितिवार जमाकर रखना, कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शीत केन्द्र परिसर तथा मशीन को धोकर सफाई करना। उक्त कार्य दिन एवं रात्रि पाली में दो से तीन घन्टे में पूर्ण किया जाना। इसके अतिरिक्त संबंधित कार्य के संबंध में प्रभारी द्वारा निर्देशित कार्यो को पूर्ण करना। रायगढ़ दुग्ध परियोजना में दूध का संकलन लगभग 3500 से 5000 लीटर प्रतिदिन औसतन रहता है। दुग्ध संकलन औसत उस माह में प्राप्त दूध के आधार पर मान्य होगा।

2– रायगढ़ दुग्ध परियोजना स्तर पर विक्रय हेतु दुग्ध संसाधन एवं पेकिंग करना, शीतगृह में भंडारण, खाली केट को धोना एवं जमाना तथा विक्रय हेतु वाहन में लोड करना तथा रायगढ़ दुग्ध परियोजना द्वारा दिये गये अन्य निर्देशों पर कार्य करना। रायगढ़ दुग्ध परियोजना स्तर पर वर्तमान में दुग्ध विक्रय औसत 3000 से 4000 लीटर हेतु दरें यथावत रहेंगी।

15–अंबिकापुर दुग्ध परियोजना पर संपादित होने वाले कार्य–

1– समितियों से प्राप्त होने वाले कच्चे दूध को डाक पर उतारना, वजन करना, रिकार्डिग करना, सेम्पलिंग करना, दूध को डम्प टेंक में डाला जाना, खाली केन तथा ढक्कन धोना, केन समितिवार जमाकर रखना, कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शीत केन्द्र परिसर तथा मशीन को धोकर सफाई करना । उक्त कार्य दिन एवं रात्रि पाली में दो से तीन घन्टे में पूर्ण किया जाना । इसके अतिरिक्त संबंधित कार्य के संबंध में प्रभारी द्वारा निर्देशित कार्यो को पूर्ण करना। अंबिकापुर दुग्ध परियोजना में दूध का संकलन लगभग 2000 से 4000 लीटर प्रतिदिन औसतन रहता है । दुग्ध संकलन औसत उस माह में प्राप्त दूध के आधार पर मान्य होगा ।

2– अंबिकापुर दुग्ध परियोजना स्तर पर विक्रय हेतु दुग्ध संसाधन एवं पेकिंग करना, शीतगृह में भंडारण, खाली केट को धोना एवं जमाना तथा विक्रय हेतु वाहन में लोड करना तथा अंबिकापुर दुग्ध परियोजना द्वारा दिये गये अन्य निर्देशों पर कार्य करना । अंबिकापुर दुग्ध परियोजना स्तर पर वर्तमान में दुग्ध विक्रय औसत 500 से 1000 लीटर हेतु दरें यथावत रहेंगी ।

16–कोरिया (बैकुंठपुर) दुग्ध परियोजना पर संपादित होने वाले कार्य–

1– समितियों से प्राप्त होने वाले कच्चे दूध को डाक पर उतारना, वजन करना, रिकार्डिग करना, सेम्पलिंग करना, दूध को डम्प टेंक में डाला जाना, खाली केन तथा ढक्कन धोना, केन समितिवार जमाकर रखना, कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शीत केन्द्र परिसर तथा मशीन को धोकर सफाई करना। उक्त कार्य दिन एवं रात्रि पाली में दो से तीन घन्टे में पूर्ण किया जाना । इसके अतिरिक्त संबंधित कार्य के संबंध में प्रभारी द्वारा निर्देशित कार्यो को पूर्ण करना। कोरिया दुग्ध परियोजना में दूध का संकलन लगभग 1500 से 3000 लीटर प्रतिदिन औसतन रहता है। दुग्ध संकलन औसत उस माह में प्राप्त दूध के आधार पर मान्य होगा ।

2– कोरिया दुग्ध परियोजना स्तर पर विक्रय हेतु दुग्ध संसाधन एवं पेकिंग करना, शीतगृह में भंडारण, खाली केट को धोना एवं जमाना तथा विक्रय हेतु वाहन में लोड करना तथा अंबिकापुर दुग्ध परियोजना द्वारा दिये गये अन्य निर्देशों पर कार्य करना । कोरिया दुग्ध परियोजना स्तर पर वर्तमान में दुग्ध विक्रय औसत 1200 से 1500 लीटर हेतु दरें यथावत रहेंगी ।

17–जशपुर दुग्ध परियोजना पर संपादित होने वाले कार्य–

1– समितियों से प्राप्त होने वाले कच्चे दूध को डाक पर उतारना, वजन करना, रिकार्डिग करना, सेम्पलिंग करना, दूध को डम्प टेंक में डाला जाना, खाली केन तथा ढक्कन धोना, केन समितिवार जमाकर रखना, कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शीत केन्द्र परिसर तथा मशीन को धोकर सफाई करना । उक्त कार्य दिन एवं रात्रि पाली में दो से तीन घन्टे में पूर्ण किया जाना । इसके अतिरिक्त संबंधित कार्य के संबंध में प्रभारी द्वारा निर्देशित कार्यो को पूर्ण करना । जशपुर दुग्ध परियोजना में दूध का संकलन लगभग 100 से 200 लीटर प्रतिदिन औसतन रहता है । दुग्ध संकलन औसत उस माह में प्राप्त दूध के आधार पर मान्य होगा ।

Dy. Gen. Manager (P & A)
C.G. State Coop. Dairy Fed. Ltd.
Urla, Dist. Durg (C.G.)

2– जशपुर दुग्ध परियोजना स्तर पर विक्रय हेतु दुग्ध संसाधन एवं पेकिंग करना, शीतगृह में भंडारण, खाली केट को धोना एवं जमाना तथा विक्रय हेतु वाहन में लोड करना तथा जशपुर दुग्ध परियोजना द्वारा दिये गये अन्य निर्देशों पर कार्य करना । जशपुर दुग्ध परियोजना स्तर पर वर्तमान में दुग्ध विक्रय औसत 100 से 200 लीटर हेतु दरें यथावत रहेंगी ।

18–कबीरधाम दुग्ध परियोजना पर संपादित होने वाले कार्य–

–समितियों से प्राप्त होने वाले कच्चे दूध को डाक पर उतारना, वजन करना, रिकार्डिग करना, सेम्पलिंग करना, दूध को डम्प टेंक में डाला जाना, खाली केन तथा ढक्कन धोना, केन समितिवार जमाकर रखना, कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शीत केन्द्र परिसर तथा मशीन को धोकर सफाई करना । उक्त कार्य दिन एवं रात्रि पाली में दो से तीन घन्टे में पूर्ण किया जाना । इसके अतिरिक्त संबंधित कार्य के संबंध में प्रभारी द्वारा निर्देशित कार्यो को पूर्ण करना। कबीरधाम दुग्ध परियोजना में दूध का संकलन लगभग 100 से 250 लीटर प्रतिदिन औसतन रहता है। दुग्ध संकलन औसत उस माह में प्राप्त दूध के आधार पर मान्य होगा ।

उपरोक्त दुग्ध शीत केन्द्रों की लेखा पुस्तको में प्रविष्टि आदि के कार्य हेतु समुचित योग्यातानुसार (कम्प्यूटर आपरेटर/डाटा ऐन्ट्री आपरेटर) मानव श्रम उपलब्ध कराना होगा।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :–.....

दिनांक :–.....

नाम :– .....

पत्राचार हेतु पता :– .....

.....

दूरभाष/मो.नं. :– .....

––00––

कार्यालय – छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महससंघ मर्यादित
उरला, बी.एम.वाय. चरोदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

प्रपत्र – IV

"भाव पत्र/दर"

(अ) निम्न मदों में महासंघ द्वारा नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी :–

क्र.	विवरण
1	मजदूरी (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी)
2	टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण पर व्यय की गई राशि
3	श्रमिक कल्याण निधि नियोक्ता अंशदान
4	वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट के अंतर्गत दुर्घटना समूह बीमा प्रीमियम का भुगतान (अधिकतम रू. 1,00,000/– प्रति श्रमिक)

नोटः–

1	ठेकेदार को मानव दिवस (Mandays) के आधार पर भुगतान किया जावेगा ।
2	"अ" मद में प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान प्रमाणक की मूल प्रति श्रमिकों की सूची सहित प्रस्तुत करनी होगी ।

(ब) निम्न मदों में महासंघ स्तर से नियमानुसार अंशदान राशि जमा करायी जावेगी :–

क्र.	विवरण
1	कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान – श्रमिक ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।
2	कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोक्ता अंशदान – श्रमिक ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।
3	सर्विस टैक्स – श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु देयक प्रस्तुत करने पर।

(स) निम्न मद हेतु निविदाकार अपनी न्यूनतम दर प्रस्तुत करें जिसका भुगतान महासंघ द्वारा किया जावेगा :–

क्र.	विवरण	मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर प्रतिशत
1	सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज	

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :–.....

दिनांक :–.....

नाम :– .....

पत्राचार हेतु पता :– .....

.....

दूरभाष/मो.नं. :– .....

––00––